सिविल मिसेलेनियस
न्यायमूर्ति, एच. आर. सोधी, के समक्ष

नगरपालिका समिति के फायर ब्रिगेड खंड के कार्यकर्ता, फरीदाबाद,-याचिकाकर्ता।
बनाम
के. एल. गोसैन और अन्य,-उत्तरदाता।
सिविल रिट नं. 1068 सन 3470
14 जुलाई, 1969

औद्योगिक विवाद अधिनियम I (1947 का XIV)-धारा 2 (जे) और 10-नगर निगम द्वारा अनुरक्षित फायर ब्रिगेड सेवा-क्या धारा 2 (जे) के अर्थ के भीतर एक "उद्योग"-फायर ब्रिगेड कर्मचारियों और नगर निगम के बीच विवाद- राज्य सरकार-क्या ऐसे विवादों को धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है।अभिनिर्धारित किया गया कि नगर निगम उतना ही नियोक्ता है जितना कि एक निजी व्यक्ति और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायिक व्यक्ति भी धारा 2 में परिभाषित "नियोक्ता" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं।(j). नगर निगम एक सार्वजनिक निगम है और मुख्य रूप से एक गैर-व्यापारिक निगम है क्योंकि इसमें ज्यादातर सरकारी कार्य एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किए जाते हैं। यह वास्तव में एक लघु राज्य है। नगर निगम की कुछ गतिविधियाँ किसी व्यवसाय या व्यापार के समान हो सकती हैं, लेकिन यह नगर निगम की प्रत्येक गतिविधि नहीं है, जिसके निष्पादन में यदि निगम और उसके कर्मचारियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो यह एक औद्योगिक विवाद बन जाता है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लेना होता है कि क्या कोई गतिविधि एक उद्योग है और एक विवाद एक औद्योगिक है। नगर निगम द्वारा अनुरक्षित अग्निशमन सेवा एक "सेवा" है और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (जे) में परिभाषित "उद्योग" की अवधारणा के भीतर एक "उद्योग" भी है। इस परिभाषा में, पहने हुए "उपक्रम" के लिए कोई पूर्व-निर्धारित सीमाएँ नहीं हैं और इसलिए परिभाषा को एक व्यापक अर्थ दिया जा सकता है। इसलिए अग्निशमन दल के कर्मचारियों और नगर निगम के बीच विवादों को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत एक औद्योगिक न्यायाधिकरण को संलग्न करने के लिए भेजा जा सकता है। (पैरा 7) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिकाओं में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी नं. 23 अप्रैल, 1969 को किया गया और 7 मई, 1968 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसे रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादी नं. 1 को योग्यता के आधार पर पुरस्कार देने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता के लिए एल. डी. ए. दलाखा और एस. के. ए. गगारवाल, अधिवक्ता।
आर. एस. मित्तल, एक डी. वी. ओ. सी. ए. टी., उत्तरदाता नं. 3 और अन्य उत्तरदाताओं के लिए के. एल. जग्गा, ए सिस्टेंट ए डीवोकेट-जी एनर्जी (हरियाणा)।

निर्णय

न्यायमूर्ति, एच. आर. सोधी, . -यह रिट याचिका एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि क्या नगर पालिका समिति, फरीदाबाद द्वारा अनुरक्षित फायर ब्रिगेड सेवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 (जे) के अर्थ के अंतर्गत एक उद्योग है (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा जाता है) ताकि राज्य सरकार को धारा 10 के अधीन नगर पालिका समिति और उसके कर्मचारियों के बीच किसी विवाद को उसके न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट करने की अधिकारिता दी जा सके। जिन तथ्यों के कारण रिट याचिका दायर की गई, वे विवाद में नहीं हैं।

(2) याचिकाकर्ता जो नगरपालिका समिति के फायर ब्रि सेक्शन के कर्मचारी हैं, उन्हें उनकी सेवा के कथित नियमों और शर्तों के अनुसार, उनके क्वार्टरों में मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति की जाती थी। अतः बिलों का भुगतान बिजली और जलापूर्ति विभागों को नगर समिति, प्रत्यर्थी 3 और अग्निशमन अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़, प्रत्यर्थी 2 द्वारा किया जाना था। इन प्रत्यर्थियों ने कुछ समय के लिए बिलों का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में याचिकाकर्ताओं के क्वार्टरों के पानी और बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इस प्रकार पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने एक औद्योगिक विवाद को उठाते हुए राज्य सरकार का रुख किया, लेकिन अधिनियम के तहत लाई गई सुलह की कार्यवाही का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य सरकार ने तब अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रत्यर्थी 1 को हरियाणा सरकार की अधिसूचना सं. आईडी/एफआरडी/206 सी/52104, दिनांक 6 दिसंबर, 1967, निम्नलिखित शब्दों में:-"क्या बिजली की मुफ्त आपूर्ति को वापस लेने में प्रबंधन की कार्रवाई उचित और क्रम में थी? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत के हकदार हैं और किस तारीख से?

(3) कामगारों और नगरपालिका समिति द्वारा उठाई गई दलीलों पर, प्रतिवादी 1, औद्योगिक न्यायाधिकरण, हरियाणा द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः -

(1) क्या नगरपालिका समिति की गतिविधियाँ जो वर्तमान मामले में प्रासंगिक हैं, उन्हें एक उद्योग नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार विचाराधीन विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं है?

(2) क्या अग्निशमन अधिकारी और नगरपालिका समिति ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9-ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है? यदि हां, तो वर्तमान संदर्भ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

(3) क्या प्रश्नगत विवाद नगरपालिका समिति के लिखित कथन में दिए गए विभिन्न कारणों से एक औद्योगिक विवाद नहीं है?

(4) क्या मांग पुरानी और विलंबित है? यदि ऐसा है, तो वर्तमान मामले पर इसका क्या प्रभाव है?

(5) क्या बिजली की मुफ्त आपूर्ति को वापस लेने में प्रबंधन की कार्रवाई उचित और क्रम में थी? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत के हकदार हैं और किस तारीख से?

(4) अधिकरण द्वारा यह पाया गया है कि नगरपालिका समिति सदैव फ्रे ब्रिगेड के कर्मचारियों को, जिसमें लगभग 25 कर्मचारी शामिल थे, निःशुल्क बिजली की आपूर्ति करने के लिए इच्छुक थी, और यहां तक कि 2 मार्च, 1965 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें फायर ब्रिगेड स्टाफ क्वार्टरों के बिजली बिलों के भुगतान को मंजूरी दी गई और भविष्य में भी उसी का भुगतान करने का वादा किया गया, लेकिन लेखा परीक्षकों ने आपत्ति जताई जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को इस सुविधा से वंचित होना पड़ा। न्यायाधिकरण की राय में लेखा परीक्षकों की आपत्ति बहुत स्पष्ट और बोधगम्य नहीं थी, लेकिन नगर समिति इसे दूर करने का रास्ता नहीं खोज सकी। इसलिए सरकार ने नगरपालिका समिति को बिलों का भुगतान करने की अनुमति नहीं दी और अंततः वर्ष 1967 में कामगारों के सभी अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। यह तब था जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा नगर समिति को एक मांग नोटिस दिया गया था जिसके कारण वर्तमान संदर्भ दिया गया था।

(5) इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने नगर समिति या अग्निशमन अधिकारी की ओर से याचिकाकर्ताओं को बिजली की मुफ्त आपूर्ति के उनके अधिकार से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं पाया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार करने के लिए मजबूर महसूस किया क्योंकि उसके निष्कर्ष के अनुसार कि अग्निशमन सेवा चलाने में नगर समिति की गतिविधि को संभवतः एक उद्योग नहीं माना जा सकता था और इस प्रकार उत्पन्न होने वाला विवाद एक औद्योगिक विवाद नहीं था जिस पर वह निर्णय ले सकता था। अधिनियम की धारा 2 (जे) में "उद्योग" शब्द को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-"उद्योग" का अर्थ है कोई भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, उपकरण या नियोक्ताओं को बुलाना और इसमें शामिल हैं! कामगारों का कोई बुलाना, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प, या औद्योगिक व्यवसाय या व्यवसाय।

"नियोक्ता" पद को उसी धारा के खंड (ii) उप-धारा (छ) में भी परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ है-"(ii) किसी स्थानीय प्राधिकरण, उस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से चलाए जा रहे उद्योग के संबंध में। "

(6) ट्रिब्यूनल ने मद्रास जिमखाना क्लब कर्मचारी संघ बनाम जिमखाना क्लब में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों पर भरोसा किया, [1]इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि फायर ब्रिगेड सेवा चलाने में समिति की गतिविधि को संभवतः एक उद्योग के रूप में वर्णित किया जा सकता है क्योंकि इसके अनुसार, फायर ब्रिगेड सेवा किसी भी श्रेणी में नहीं आती है, अर्थात्, व्यवसाय, व्यापार अंडरटेकिंग, निर्माण, या नियोक्ताओं को बुलाना जैसा कि धारा 2 में संदर्भित है।(j). फायर ब्रिगेड सेवा से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक प्रत्यक्ष अधिकार है और इसे नागपुर शहर निगम बनाम इसके कर्मचारियों के रूप में रिपोर्ट किया गया है।[2]. मद्रास जिमहाना क्लब कर्मचारी संघ के मामले में उनके लॉर्डशिप्स द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के कारण ट्रिब्यूनल ने इसका पालन नहीं किया (1). उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां, जो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण को इस मुद्दे पर प्रत्यक्ष प्राधिकारी का पालन न करने के लिए प्रेरित करती हैं, निम्नलिखित हैं: —

'उपक्रम' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए: 'कोई भी व्यवसाय या कोई भी कार्य या परियोजना जिसमें कोई व्यक्ति संलग्न होता है या एक उद्यम के रूप में प्रयास करता है।

---

1 1967 II L.L.J. 720.
2 1960 I L.L.J 523

व्यापार या व्यापार '। यह बनर्जी मामले में निर्धारित परीक्षण है। 195) ऊपर और बाद में बड़ौदा बरो नगर पालिका मामले में निगम मामले में इसका विस्तार उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण था और पहले के मामलों का खंडन किया।

(7) ए. एम. नगरपालिका निगम एक निजी व्यक्ति के रूप में एक नियोक्ता है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायिक व्यक्ति भी धारा 2 में परिभाषित "नियोक्ता" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं।(j). नगर निगम एक सार्वजनिक निगम है और मुख्य रूप से एक गैर-व्यापारिक निगम है क्योंकि इसमें एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर प्रदर्शन करने के लिए ज्यादातर सरकारी कार्य होते हैं। यह वास्तव में एक लघु राज्य है। साथ ही, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि नगर निगम की कुछ गतिविधियाँ किसी व्यवसाय या व्यापार के समान हो सकती हैं। यह नगर निगम की प्रत्येक गतिविधि नहीं है जिसके निष्पादन में यदि निगम और उसके कर्मचारियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो यह एक औद्योगिक विवाद बन जाता है। प्रत्येक मामले का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि क्या विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुओं द्वारा निर्धारित विभिन्न परीक्षणों को लागू करते हुए, एक गतिविधि एक उद्योग है और एक विवाद एक औद्योगिक है। मद्रास जिमखाना क्लब कर्मचारी संघ के मामले (1) में उनके अधिपत्य ने नागपुर नगर निगम के मामले (2) में उस न्यायालय के पूर्व निर्णय में दिए गए विस्तारित अर्थ का समर्थन नहीं किया, जो काफी हद तक लोचदार है। जो भी हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस मामले में विशिष्ट निर्णय पर फैसला नहीं सुनाया गया था। प्रत्येक निर्णय उस निर्णय के लिए एक प्राधिकरण है जो वह तय करता है न कि उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के लिए जो निर्णय पर पहुंचने का समर्थन करने के लिए एक तर्क या एक आज्ञाकारी आदेश की प्रकृति में हो सकता है। भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाए कि "उद्योग" की अवधारणा के अंतर्गत आने वाला "उपक्रम" व्यवसाय या व्यापार के अनुरूप एक उद्यम होना चाहिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि फायर ब्रिगेड सेवा ऐसा उपक्रम है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। यह आवश्यक नहीं है कि गतिविधि ऐसी हो जिससे किसी उद्योग की श्रेणी में आने से पहले लाभ होने की संभावना हो। फायर ब्रिगेड सेवा अधिनियम की धारा 2 (जे) के अर्थ में एक 'सेवा' और एक 'उपक्रम' भी है। धारा 2 (एन) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" को परिभाषित करती है और इसका अर्थ हैः - (i) हवाई मार्ग से यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए कोई रेल सेवा या कोई परिवहन सेवा।

(vi) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी उद्योग, जिसे उपयुक्त सरकार, यदि संतुष्ट करती है कि सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक हित की आवश्यकता है, तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर सकती है। ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैः

बशर्ते कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि, पहली बार में, छह महीने से अधिक नहीं होगी, लेकिन इसी तरह की अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, किसी भी समय में छह महीने से अधिक की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, यदि उपयुक्त सरकारी लोक आपातकाल या लोक हित की राय में इस तरह के विस्तार की आवश्यकता होती है; "पहली अनुसूची जो धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (vi) के साथ सह-संबंधित है, विभिन्न उद्योगों को बताती है जिन्हें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं घोषित किया जा सकता है और फायर ब्रिगेड सेवा उनमें से एक है। विधायिका ने फायर ब्रिगेड सेवा को एक व्यवसाय या व्यापार के रूप में माना है। यह बनर्जी मामले में निर्धारित परीक्षण है। 195) ऊपर और बाद में बड़ौदा बरो नगर पालिका मामले में निगम मामले में इसका विस्तार उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण था और पहले के मामलों का खंडन किया।

पहली अनुसूची जो धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (vi) के साथ सह-संबद्ध है, विभिन्न उद्योगों को बताती है जिन्हें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं घोषित किया जा सकता है और अग्निशमन सेवा उनमें से एक है। विधायिका ने फायर ब्रिगेड सेवा को एक ऐसे उद्योग के रूप में माना है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया जा सकता है जो औद्योगिक विवादों और उससे जुड़े अन्य परिणामों को जन्म देता है। नागपुर नगर निगम के मामले (2) में सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय प्रांतों और बरार औद्योगिक विवाद निपटान अधिनियम, 1947 पर विचार कर रहा था। उस अधिनियम ने कुछ अलग भाषा में "उद्योग" की परिभाषा दी और एक उपक्रम के दायरे को सीमित कर दिया। इसमें शामिल थेः "
(क) कोई व्यवसाय, व्यापार, विनिर्माण या खनन जो नियोक्ताओं के अधीन है या बुलाता है,

(ख) कोई बुलाना, सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या कर्मचारियों का व्यवसाय, और

(ग) किसी उद्योग की कोई शाखा या उद्योगों का समूह।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में दी गई "उद्योग" अभिव्यक्ति की परिभाषा में, "उपक्रम" शब्द की कोई पूर्व-निर्धारित सीमाएँ नहीं हैं जिनका व्यापक अर्थ दिया जा सकता है। नागपुर नगर निगम के मामले (2) का निर्णय लेने वाले उनके प्रभुओं ने उसमें निर्धारित सीमाओं के बावजूद "उपक्रम" अभिव्यक्ति को विस्तारित अर्थ दिया। मद्रास जिमखाना क्लब कर्मचारी संघ के मामले (1) में उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय ने यह निर्धारित करने के लिए कुछ अतिरिक्त परीक्षण निर्धारित किए हैं कि कोई गतिविधि उद्योग है या नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नागपुर नगर निगम के मामले (2) में निर्णय लागू नहीं होता है। मेरी राय में, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने गलत किया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करने में एक स्पष्ट त्रुटि की, जो वर्तमान मामले के साथ चौतरफा है और इसके बजाय मद्रास जिमखाना क्लब कर्मचारी संघ के मामले में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा कर रहा है (1). गुण-दोष के आधार पर, न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम दृष्टया श्रमिक उनके द्वारा दावा की गई रियायतों के हकदार हैं, लेकिन उन्होंने सभी मुद्दों का निपटारा नहीं किया है।

(8) पूर्वगामी 5 कारणों के लिए, 11 मैं लिखित याचिका का अनुमोदन करता हूं, जो औद्योगिक अधिकरण का आक्षेपित निर्णय है और निर्देश देता है कि उसे अन्य सभी मुद्दों का गुणागुण के आधार पर निपटान करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं याचिकाकर्ताओं की लागत का आकलन रुपये में करता हूं। 150. K.S.K. आपराधिक विचारणों में अभियुक्त व्यक्तियों के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत वादी के सामान्य अधिकारों और उपचारों का लाभ उठाने पर रोक दिखाई गई है। इसलिए, मेरा मानना है कि आरोपी जांच अधिकारी से कुछ विभागीय कार्यवाही के दौरान पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष दिए गए अपने पिछले बयान के बारे में जिरह कर सकता है, जो बयान लिखित रूप में दिया गया था- हालांकि तीसरे व्यक्ति में-और कौन सा बयान या उसका हिस्सा आरोपी के मुकदमे में शामिल मामलों के लिए प्रासंगिक है। आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि ऐसी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त अपने ऐसे पूर्व कथन के किसी भाग के साथ साक्षी का विरोध करने का इरादा रखता है, तो यह उसका दायित्व होगा कि वह अपने पूर्व कथन के उन भागों की ओर साक्षी का ध्यान आकर्षित करे, जिनका उपयोग उसके पूर्व कथन को सिद्ध करने से पहले उसके पूर्व कथन का खंडन करने के उद्देश्य से किया जाना अपेक्षित है। यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि एक अभियुक्त व्यक्ति को अपने उपर्युक्त अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए उसे कानून के अनुसार गवाह के प्रासंगिक पिछले बयान की एक प्रति प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इतना ही विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिया है। इसलिए, मैं पुनरीक्षण के अधीन आदेशों में कोई त्रुटि खोजने में असमर्थ हूं और इसे बनाए रखने में मुझे कोई संकोच नहीं है। पुनरीक्षण के लिए यह याचिका तदनुसार विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा